HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 250/2023

1. Urmila Kanwar W/o Laxman Singh, Aged About 36 Years, R/o Village Aanva, Tehsil Duni, District Tonk, (Raj.)
2. Laxman Singh S/o Bhawani Singh, Aged About 46 Years, R/o Village Aanva, Tehsil Duni, District Tonk (Raj.)

----Appellants

Versus

1. Jaipur Vidhut Vitran Nigam Limited, Through Secretary, Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd, Vidhyut Marg, Jaipur, District Jaipur (Raj.)
2. Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd. Through Executive Engineer, Civil Lines Ton Tehsil And District Tonk (Raj.)
3. Assistant Engineer, Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd, Duni, District Tonk

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Praveen Kumar Jain
For Respondent(s) : Mr. Sagar Jindal

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

The date of conclusion of arguments;	01-12-2025
The date on which the judgment was reserved;	01-12-2025
Whether the full judgment or only the operative part was pronounced;	No
The date of pronouncement.	23-02-2026

अपीलार्थीगण–दावेदार/प्रार्थीगण की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय जिला न्यायाधीश टोंक (जिसे आगे विचारण न्यायालय से सम्बोधित किया जाएगा) द्वारा दीवानी वाद संख्या– सीआईएस **25/2018** में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक **21.01.2023**, जिसके माध्यम से अपीलार्थीगण–दावेदारों के पक्ष में **5,00,000/**–रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का आदेश पारित किया गया, से व्यथित होकर एवं उक्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार दिनांक **11.04.2018** को रात्रि दो ढाई बजे ग्राम आंवा में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर घरेलू सर्विस लाइन पर गिर गया जिससे ग्राम आंवा स्थित मालियों के मोहल्ले में करण्ट प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ गया और आनंदसिंह उम्र 12 वर्ष जो टेबिल फैन को बंद करने गया तो अत्यधिक विद्युत प्रवाह के कारण आनंद सिंह के शरीर पर विद्युत प्रवाह होने से उसकी मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना अप्रार्थीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक विद्युत की लाईन की ठीक ढंग से सार संभाल नहीं करने के कारण हुई है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय में दावे में यह तथ्य अंकित किए कि यदि अप्रार्थीगण के कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह नहीं होते व उचित ढंग से विद्युत लाइन की सार संभाल करते तो यह घटना घटित नहीं होती। कठोर दायित्व के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। मृतक आनंद सिंह की आयु 12 वर्ष होना बताया एवं भविष्य में नौकरी व्यवसाय कर मासिक बीस हजार रूपये की मासिक आय अर्जित करना अंकित किया तथा उसकी मृत्यु के कारण वादीगण पुत्र से मिलने वाली आय, सेवा, सुश्रुषा, प्रेम व स्नेह से सदैव के लिए वंचित हो गए, अतः कुल 1,33,40,000/—रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उक्त दावे का जवाब पेश कर दावे में अंकित तथ्यों का विरोध किया। उनका उत्तर में अभिकथन रहा है कि प्रत्यर्थीगण की किसी प्रकार की कोई लापरवाही इस दुर्घटना में नहीं रही है। उनका अभिवचन रहा कि मृतक आनंद सिंह अपने घर पर स्थित स्विच बोर्ड पर स्विच बंद कर रहा था, जिससे उसके करण्ट आया है। प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी नहीं है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किये गये। पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आलोच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि **5,00,000/—** रूपये मय ब्याज दिलाई गई, जिससे व्यथित होकर उक्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किये जाने हेतु अपीलार्थीगण—दावेदारों की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार के कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन्स (Cross-objections) या अपील प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–दावेदारों का तर्क है कि इस अपील में उनके द्वारा केवल विवाद्यक संख्या–2 के अनुसार दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि को ही चुनौती दी गई है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घातक दुर्घटना (Fatal Accident) के मामलों में भी मोटर वाहन अधिनियम के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप ही क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जानी चाहिए।

उनका तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या–2 का निर्णय करते समय क्षतिपूर्ति राशि तय करते हुए कोई तथ्य ध्यान में नहीं रखे हैं तथा बिना किसी आधार के केवल एकमुश्त राशि पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि तय कर दी है जो विधिसम्मत नहीं है। उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय **हितेश नागजीभाई पटेल–बनाम–बाबाभाई नागजीभाई रेबारी एवं अन्य सिविल अपील संख्या 10278/2025** में यह स्पष्टतः निर्णीत किया है कि बालक की मृत्यु पर उसकी आय की गणना उसे कुशल श्रमिक मानकर की जानी चाहिए एवं उसी आधार पर आय की क्षति की गणना कर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

उनका यह भी तर्क है कि मृतक के अंतिम संस्कार के पेटे अपीलार्थीगण को कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलाई है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार इस मद में 15 हजार रूपये दिलवाए जाने चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि संगति, स्नेह की हानि (Loss of Filial) की क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि नहीं दिलाई गई है, जबकि इस मद में प्रत्येक अपीलार्थी उक्त न्यायिक विनिश्चय के प्रकाश में 40 हजार रूपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि सम्पत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति स्वरूप भी कोई राशि नहीं दिलाई गई है जबकि इस मद में भी अपीलार्थीगण 15 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार से उन्होंने क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान प्रत्यर्थीगण/अप्राथीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का सही प्रकार से मूल्यांकन किया है और जो क्षतिपूर्ति राशि तय की है उसमें कोई अवैधता नहीं है। उनका तर्क है कि 12

वर्ष के बच्चे की मृत्यु पर जो 5 लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई है, वह उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील निरस्तनीय है, निरस्त की जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

इस अपील में अपीलार्थीगण/दावेदारों ने विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को बढ़ाए जाने हेतु ही निवेदन किया है। मृतक आनंद सिंह उम्र 12 वर्ष की मृत्यु करण्ट से होना सामने आया है एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आ. पत्ति प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण की नहीं रही है। इस अपील में इस न्यायालय को केवल यही देखना है कि मृतक आनंद सिंह उम्र 12 वर्ष की मृत्यु से हुई क्षति की क्षतिप. ूर्ति स्वरूप कितनी राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

यह मामला भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 *(The Indian Fatal Accident Act, 1855)* की धारा 1–ए के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित है तथा घातक दुर्घटना के मामलों में क्षतिपूर्ति राशि की गणना के प्रयोजन से मोटर वाहन दुर्घटना में क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सिद्धान्त ही लागू होते हैं।

विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक आनंद सिंह की उम्र 12 वर्ष मानकर एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि पांच लाख रूपये दिलवाए हैं जबकि उक्त क्षतिपूर्ति की गणना जैसा कि ऊपर अंकन किया गया है, मोटर वाहन दुर्घटना से सम्बन्धित हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त के अनुरूप ही की जानी चाहिए।

मृतक आनंद सिंह की उम्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पृथक से पेश नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंकित आयु 12 वर्ष को ही आधार मानकर क्षतिपूर्ति राशि की गणना करना उचित है। मृतक 12 वर्ष का बालक था जो अध्ययनरत था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालकों की आय के निर्धारण के सम्बन्ध में अपने विनिश्चय **हितेश नागजीभाई पटेल–बनाम–बाबाभाई नागजीभाई रेबारी एवं अन्य सिविल अपील संख्या 10278/2025** में पैरा संख्या–9 में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

On the aspect of monthly income of the minor appellant, we are inclined to interfere with the judgment and order of the Courts below. In the

present case, it is evident that the Courts below have failed to take into account the monthly income of the appellant while determining the quantum of compensation. It is now a well-entrenched and consistently reiterated principle of law that a minor child who suffers death or permanent disability in a motor vehicle accident, cannot be placed in the same category as a non-earning individual for the purposes of assessing the amount of compensation because the child was not engaged in gainful employment at the time of the accident. In such a case, the computation of compensation under the head of loss of income ought to be made by adopting, at the very least, the minimum wages payable to a skilled workman as notified for the relevant period in the respective State where the cause of action arises. The said observation was rendered by this Court, in Kajal v. Jagdish Chand and Ors.3, and Baby Sakshi Greola v. Manzoor Ahmad Simon and Anr.4.

For the purpose of emphasis, it is again clarified here that when a Tribunal or the High Court in appeal, is concerned with the case involving a child having suffered injury or having passed away, the calculation of loss of income necessarily has to be made on the matric of minimum wages payable to a skilled worker in the respective State at the relevant point of time. It is our hope that this restatement helps avoiding such errors and thereby obviates the necessity of this Court’s interference, applying well-established principles of law.

उक्त न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार बालक की मृत्यु होने पर उसकी आय की क्षति की क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए उसकी आय तत्समय प्रचलित कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर के अनुसार निधारित की जानी होती है। वर्तमान प्रकरण में मृतक की आयु 12 वर्ष थी और दुर्घटना दिनांक 11.04.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अप्रेल 2018 में कुशल श्रमिक की न्यूनतम

मजदूरी की दर के अनुसार मृतक की आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप निम्नानुसार गणना की जानी उचित है।

<u>आय की क्षति</u> (Loss of Income)

प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 11.04.2018 को होना स्वीकृत तथ्य है अप्रेल 2018 में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 233/–रूपये प्रतिदिन थी एवं इस अनुसार उसकी मासिक आय **233 गुणा 30 कुल 6990/–**रूपये प्रतिमाह होती है इस न्यायालय की राय में आय की क्षति के निर्धारण के क्रम में मृतक की मासिक आय **6990/–** रूपये माना जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत है। उक्तानुसार गणना करने पर वार्षिक आय **83880/–** रूपये मानी जाती है।

न्यायिक विनिश्चिय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. ,एवं Sarla Verma & ors. vs Delhi Transport Corporation में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप मृत्यु के समय मृतक की आयु **12 वर्ष** होने एवं उसके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसकी भविष्य में आय की वृद्धि की प्रत्याशा के लिये, उसकी आय का **40 प्रतिशत** भाग वर्तमान आय में जोड़ा जाना तथा उसकी आय में 15 का गुणक (Multiplier) का प्रयोग किया जाना उचित है।

जहॉ तक मृतक द्वारा स्वयं पर किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्च के रूप में कटौती का प्रश्न है, विद्वान विचारण में क्लेम प्रार्थना पत्र, मृतक के माता–पिता कुल 2 आश्रितों की ओर से पेश किया गया है। मृतक द्वारा स्वयं पर किये जाने वाले व्यय के रूप में आय के 1/2 भाग की कटौती किया जाना उचित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विनिश्चिय National Insurance Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi & Ors. (2017) 16 SCC 680 निर्णीत किया गया है।

अतः आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना उचित है :–

क्र.सं.	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	मृतक की वार्षिक आय	83880/-
2.	भविष्य में होनेवाली आय की वृद्धि की प्रत्याशा	33552/- (40% of the income)
3.	योग	117432/-

4.	मृतक द्वारा स्वयं पर किये जानेवाले खर्च की कटौती (1/2)	58716/- (1/2 of 117432)
5.	उक्त कटौती के पश्चात शेष राशि (अपीला. र्थीगण की वार्षिक निर्भरता)	117432-58716=58716/-
6.	मृतक की आयु के आधार पर प्रयोज्य गुणक	15
7.	आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि	58716x18=**880740/-**

अतः विद्वान विचारण द्वारा आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाई गई राशि **500000/—**रूपये में **380740/—** रूपये की वृद्धि करते हुए इस न्यायालय द्वारा आय की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप **880740/—** रूपये राशि दिलाया जाना उचित है।

<u>पारम्परिक मद (Conventional Heads)</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चियों United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder (2020) Supreme Court (SC) 425, New India Assurance Co. Ltd. Vs. Somwati & Ors. (2020) 9 SCC 644 & Magma General Insurance Co. Ltd. Vs. Nanuram & Ors. (2018) 18 SCC 130 में पारम्परिक मदों को परिभाषित करते हुए उसमें क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई है।

वर्तमान प्रकरण में विद्वान विचारण द्वारा मृतक के माता–पिता को अपने पुत्र की संगति, स्नेह एवं साहचर्य की क्षति की क्षतिपूर्ति स्वरूप कोई राशि नहीं दिलाई गई है, न ही सम्पत्ति की हानि एवं दाह संस्कार के पेटे कोई राशि दिलाई गई है, जो हमारे विचार से उक्त न्यायिक विनिश्चयों के प्रकाश में संशोधित कर दिलाया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चियों की रोशनी में मृतक के माता–पिता को अपने पुत्र की संगति, स्नेह एवं साहचर्य (Filial Consortium) की क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में, प्रत्येक को **40000/—**रूपये अर्थात **(40,000x2=80000)** रूपये कुल **80000/—रूपये,** दाह संस्कार की मद में **15,000/—**रूपये एवं सम्पत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु **15,000/—**रूपये इस प्रकार कुल राशि **110000/—**रूपये की क्षतिपूर्ति राशि इस मद में दिलाया जाना उचित है।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मद में अपीलार्थीगण को कोई राशि नहीं दिलाई गई **है** अतः इस न्यायालय द्वारा उन्हें इस मद में **110000/—** रूपये की राशि दिलाया जाना उचित है।

इस प्रकार विद्वान विचारण द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि करते हुए निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है।

क्र.सं.	मद	क्षतिपूर्ति राशि
1.	आय की क्षति की क्षतिपूर्ति राशि	1056888/-
2.	पारम्परिक मद की राशि	110000/-
3.	कुल क्षतिपूर्ति राशि	880740+110000= **990740/-**

परिणामतः विद्वान विचारण द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि **5,00,000/–** रूपये में उपर्युक्तानुसार **4,90,740/–**रूपये की वृद्धि करते हुए करते हुए इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण–दावेदार के पक्ष में कुल क्षतिपूर्ति राशि **9,90,740/–** रूपये की राशि दिलाए जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीगण द्व ारा पूर्व में प्राप्त की गई राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित होगी।

जहॉ तक ब्याज का प्रश्न है, तो हस्तगत अपील वर्ष 2018 की दुर्घटना के सम्बन्ध में है। विचारण न्यायालय द्वारा पांच लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाई गई है,। हमारे विचार से हस्तगत अपील में वर्ष 2018 की दुर्घटना होने एवं तत्समय प्रचलित दर के अनुसार ब्याज की उक्त राशि में वृद्धि किया जाना उचित है। अतः बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर अपीलार्थीगण 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज से ब्याज दर प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे। ब्याज प्राप्त करने की तिथि तथा क्षतिपूर्ति राशि के आनुपतिक वितरण के क्रम में समस्त शर्तें विद्वान विचारण न्यायालय के आदेशानुसार प्रभावी एवं यथावत रहेंगी।

उपर्युक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है। तदनुसार लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /113